

श्री नाहटा पिता जिथिंग जाति भील निवासी वडलीपाड़ा, पटवार मण्डल रामगढ़

बनाम

तहसीलदार, कुशलगढ़

सरकार

किस्म मुकदमा - 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण सं. - 04/2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम की एवं हुकम की ताकीद में जारी हुए
21.11.2019	दावा अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दर्ज होकर पेश हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.12.2019 को पेश हो।	
4-12-2019	पत्रावली पेश। तहसीलदार कुशलगढ़ से जवाब प्राप्त नहीं हुआ पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 20-12-2019 को पेश हो।	
20-12-19	पत्रावली पेश। P.O. का मसुदा पत्रों में मसुदा पत्रावली का जवाब तहसीलदार कुशलगढ़ से प्राप्त हुआ, जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 20-01-2020 को पेश हो।	
20-01-2020	पत्रावली पेश। P.O. को जवाब पत्रों में मसुदा पत्रावली दिनांक 29-01-2020 को पेश हो।	
29-01-2020	पत्रावली पेश हुई। प्रत्येक उपायित। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त। रिपोर्ट अनुसार परमेश पुत्र जिथिंग व रसिया पुत्र जिथिंग को नाबालिग पत्र किया जाना उचित बताया। सदर तहसीलदार दूरसिंग पिता कलवी, रंगा पत्नी सबूतकर्ता, ने अपने सदस्यी प्रताह। पत्रावली में संलग्न पत्रावली, रिपोर्ट तहसीलदार एवं सदर तहसीलदार के बयान के आधार पर शांति किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रारंभ मसुदा से लिखा जाना पत्रावली के अंतर्गत हुआ है। प्रारंभ नम्बर के अंतर्गत।	<p>परमेश</p> <p>रसिया</p> <p>मुकेश</p> <p>नाहटा</p> <p>पतीक्ष</p>

